राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांकः एफ. 13(49)खा.वि./आवंटन/2015 जयपुर, दिनांक 10.08.2017

आदेश

राज्य में विभिन्न राजकीय योजनाओं के नगद एवं गैर नगद लाभ भामाशाह योजना के माध्यम से हस्तान्तरित किये जा रहे हैं। राज्य सरकार के निर्णयानुसार सभी जिलों में भामाशाह प्लेटफार्म के माध्यम से पॉस मशीनों द्वारा राशन सामग्री का वितरण कराया जा रहा है। साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की सूचियों में पात्र व्यक्तियों के नाम सम्मिलित करने एवं अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाये जाने हेतु विभागीय दिशा–निर्देश दिनांक 05.11.2015 के अनुसार उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अपील किये जाने का प्रावधान है। अपीलीय प्रक्रिया के लिए प्रथम अपील अधिकारी के रूप में नियुक्त उपखण्ड अधिकारी के साथ–साथ जिला रसद अधिकारी को भी पदाभिहित किये जाने के निर्देश दिनांक 02.08.2017 को जारी किये जा चुके हैं। पात्र लाभार्थियों को राशन सामग्री का वितरण पारदर्शी एवं सुचारू रूप से कराये जाने हेतु निम्नांनुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं:–

1. विभागीय आदेश दिनांक 19.07.2016 द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र लाभार्थियों के लिए इलैक्ट्रोनिक सूची (ई–सूची) ही अधिकृत सूची है। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये थे कि उचित मूल्य दुकानदार द्वारा किसी भी अन्य सूची का प्रयोग नहीं किया जायेगा। इस संबंध में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि जिलों में ई–सूची को पूर्णतः लागू करवाया जाये, क्योंकि ई–सूची ही राशन वितरण हेतु विभाग द्वारा अधिकृत एकमात्र सूची है।

   अतः समस्त जिला रसद अधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि ई–सूची का उचित मूल्य दुकानवार प्रिंट लेकर उसे सत्यापित कर उचित मूल्य दुकानों पर रखवायें तथा ई–सूची के आधार पर ही राशन सामग्री का वितरण करायें। साथ ही उक्त सूची को उचित मूल्य की दुकानों के बाहर प्रदर्शित किया जाना तथा अटल सेवा केन्द्र पर भी रखवाया जाना सुनिश्चित करें।

2. खाद्य सुरक्षा सूचियों में नाम जोड़े जाने एवं अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाये जाने हेतु विभाग द्वारा दिनांक 05.11.2015 से उपखण्ड अधिकारी को अधिकृत किया हुआ है तथा दिनांक 02.08.2017 को इस कार्य के लिए उपखण्ड अधिकारी के साथ–साथ जिला रसद अधिकारी को भी पदाभिहित किया गया है।

   इस संबंध में यह निर्देशित किया जाता है कि जैसे ही किसी भी लाभार्थी का नाम खाद्य सुरक्षा सूचियों में जोड़ा जाये अथवा किसी अपात्र व्यक्ति का नाम खाद्य सूचियों से हटाया जाये, तो उसी दिवस नाम सम्मिलित होने तथा हटाये जाने की सूचना संबंधित व्यक्ति को जरिये डाक भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाईन बनाये जाने हेतु तकनीकी संशोधन कराये जा रहे हैं।

3. खाद्य सुरक्षा योजना के तहत चयनित होने के बावजूद भी जिन परिवारों द्वारा लगातार राशन प्राप्त नहीं किया जा रहा है उनके नाम अबेयन्स सूची (Abeyance list) में रखे गये हैं। इस संबंध में विभाग द्वारा जारी किये गये नवीनतम दिशा–निर्देश दिनांक 26.07.2017 के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

4. प्रत्येक जिले में कुछ ऐसे पात्र लाभार्थी होना स्वाभाविक है जो वृद्ध, निःशक्त, नेत्रहीन हों व एकल जीवन व्यतीत करते हों तथा बेसहारा एवं चलने फिरने में असमर्थ हों। ऐसे प्रकरणों में लाभार्थी को उचित मूल्य दुकानों तक जाने में कठिनाई आना स्वाभाविक है।

अतः प्रत्येक जिले में ऐसे व्यक्तियों का सर्वे करवाकर उनकी संख्या का आंकलन दिनांक 30.08.2017 तक करवाया जाये ताकि विभाग द्वारा ऐसे लाभार्थियों के संबंध में अग्रिम कार्यवाही पर विचार किया जा सके। इस संबंध में एकल परिवार तथा 70 वर्ष से अधिक आयु हेतु भामाशाह डेटाबेस में भी सूचना उपलब्ध है। अतः उक्त सूचना का उपयोग इस कार्य हेतु किया जा सकता है।

5. जिलों में अनेकों बार जाँच के दौरान साक्ष्य के रूप में लाभार्थी का राशन कार्ड जब्त किया जाना आवश्यक होता है तथा ऐसी परिस्थिति में उपभोक्ताओं को निःशुल्क डुप्लीकेट राशन कार्ड जारी किया जाना आवश्यक है।

इस संबंध में यह निर्देश दिये जाते हैं कि जॉचकर्ता जॉच के समय आवश्यकता अनुसार मूल राशन कार्ड को वास्ते सबूत जब्त करते समय नागरिक को जब्ति की क्रमांकित रसीद देवें, जिससे ई–मित्र अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निःशुल्क डुप्लीकेट राशन कार्ड जारी किया जा सके। इस हेतु सूचना प्रोद्यौगिकी एवं संचार विभाग से ई–मित्र व्यवस्था में आवश्यक संशोधन कराया जा रहा है तथा इस कार्य हेतु ई–मित्र को शुल्क भुगतान की व्यवस्था विभागीय स्तर पर करायी जायेगी।

6. जिन लाभार्थियों के पास आधार नहीं है, उनको पॉस मशीन के सॉफ्टवेयर पर उपखण्ड अधिकारी के माध्यम से विभागीय दिशा–निर्देश दिनांक 24.03.2017 के अनुसार प्रमाणीकरण कराकर राशन सुविधा दी जा रही है। इस कार्य हेतु उपखण्ड अधिकारी के साथ–साथ जिला रसद अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारी, प्रवर्तन निरीक्षक, विकास अधिकारी तथा अधिशाषी अधिकारी (नगरपालिका) को अधिकृत किया जा चुका है।

इस व्यवस्था का पर्याप्त प्रचार–प्रसार किया जाना सुनिश्चित करें ताकि अधिक से अधिक लाभार्थी इस व्यवस्था का लाभ ले सकें। साथ ही ऐसे लाभार्थियों को आधार नामांकन के लिए प्रेरित किया जाना सुनिश्चित करें।

7. विभाग द्वारा जारी अपीलीय प्रक्रिया दिनांक 05.11.2015 में आवेदकों के नाम सम्मिलित करने अथवा निष्कासन के लिए ग्राम सभा /स्थानीय निकाय वार्ड सभा से अनुमोदन कराया जाना आवश्यक था।

उक्त दिशा–निर्देशों में संशोधन कर अपीलीय प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए उक्त शर्त को दिनांक 02.08.2017 के निर्देशों द्वारा विलोपित कर दिया गया है।

8. विभिन्न जिलों में कुछ स्थानों पर इन्टरनेट कनेक्टिविटी की समस्या होने के कारण उचित मूल्य दुकानों को इन्टरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध होने तक राशन सामग्री के ऑफलाईन वितरण हेतु अधिकृत किया गया था तथा वितरित की गयी राशन सामग्री को आगामी माह की 9 तारीख तक अपलोड करने हेतु निर्देश दिये गये थे। इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि जिलों में ऐसी उचित मूल्य दुकानों पर कराये गये ऑफलाईन वितरण को एक्सेल टेम्पलेट में भिजवाया जाकर ऑनलाईन कराया जा सकता है।

उक्त निर्देशों की पूर्णरूपेण पालना सुनिश्चित की जाये।

10/8/17

(संजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान, सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. समस्त जिला कलेक्टर्स, राजस्थान।
6. समस्त विभागीय अधिकारी, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान।
8. समस्त उपखण्ड अधिकारी, राजस्थान।
9. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (एसीपी), खाद्य विभाग, जयपुर।
10. तकनीकी निदेशक, एनआईसी, जयपुर।
11. विभागीय प्रोग्रामर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं संबंधित को ई—मेल किया जाना सुनिश्चित करें।

10.08.2017

(आकाश तोमर)
उपायुक्त (द्वितीय)